



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/५५१९-२७

दिनांक : 24.10.2024

सेवा में

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,  
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,  
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय- माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano Fernandes VS State of Goa & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के संलग्न पत्रांक : डिग्री विकास/1315/2024-25, दिनांक 18.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश ने मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano Fernandes VS State of Goa & Ors. में दिये गये निर्देशों के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम-2013 के सम्बन्ध में पाँच बिन्दुओं पर सूचना निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रारूप-I

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय आंतरित परिवाद समिति के सदस्यों का नाम	सम्पर्क नं०	ई-मेल आईडी	अभ्युक्ति

प्रारूप-II

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय आंतरित परिवाद समिति के सदस्यों का नाम	माह में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिसका निस्तारण किया गया है	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से अधिक लम्बित है	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप	अभ्युक्ति

अतः कृपया महाविद्यालय में उक्तानुसार समिति का गठन करते हुए समिति के गठन प्रारूप-I की सूचना तत्काल अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, साथ ही प्रारूप-II की सूचना

प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक अवश्य रूप से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त सूचनायें माह के पहले सोमवार को शासन को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

उप-कुलसचिव  
(प्रशा0/सम्ब0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
4. मीडिया प्रभारी।
5. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
6. निजी सचिव-कुलपति।
7. प्रभारी, वेबसाईट।
8. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।

उप-कुलसचिव  
(प्रशा0/सम्ब0)

DR-1067  
22/10/24

-1-

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),  
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,  
प्रयागराज।

सेवा में,

- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उ०प्र०।
- समस्त कुलसचिव,  
राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०।

अनुसमारक - 1/आयन्त महत्त्वपूर्ण/ई - मेल



पत्रांक:- डिग्री विकास/ 1315 /2024-25 दिनांक - 18/10/2024  
विषय - माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano  
Fernandes VS State of Goa & Ors. में मा० न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पूर्ण  
अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

महोदय उपर्युक्त विषयक पूर्व प्रेषित संलग्नक महिला कल्याण अनुभाग - 3 के पत्र संख्या 741/60-3-2023  
सी - 1723848/23 दिनांक 11.07.2023 एवं निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या सी -  
1461/निदे०म०क०/अनुदान-5/बैठक/रिट-1224/2014/2024-25 दिनांक 09.10.2024 एवं इस कार्यालय के  
फत्रांक डिग्री विकास/1273/2024-25 दिनांक 16.10.2024 एवं डिग्री विकास/1291/2024-25 दिनांक  
17.10.2024 का अवलोकन करना चाहें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश  
ने मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2017 Aureliano Fernandes VS State of  
Goa & Ors. में दिये गये निर्देशों के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और  
प्रतिरोध) अधिनियम - 2013 के संबंध में पाँच बिन्दुओं पर सूचना एक निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की  
अपेक्षा की गयी है।

प्रारूप - 1

क्र०सं०	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कार्यालय आंतरित परिवार समिति के सदस्यों का नाम	संपर्क नं०	ई - मेल आई०डी०	अभ्युक्ति

सूच्य है कि निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रारूप - 1 एवं 2 पर केवल छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त हुई है, शेष से अद्यतन अप्राप्त है।

प्रारूप - 2

क्र० सं०	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कार्यालय का नाम	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/कार्यालय आंतरित परिवार समिति के सदस्यों का नाम	माह में प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	ऐसी शिकायतों की संख्या जिसका निस्तार	ऐसे मामलों की संख्या जो 90 दिन से	लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या	नियोक्ता द्वारा की गयी कार्य	अभ्युक्ति


D.R. (Adm. 1)

21/10/24

श्री प्रसेनजित  
23/10/24

नाम	ण किया गया है	अधिक लिखित है	तामस्कता कार्यक्रमों की संख्या	वाही का पत्र

अतएव आपसे पुनः अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त समिति के गठन प्रारूप - 1 की सूचना तत्काल आज ही निदेशक महिला कल्याण की ई - मेल आई(डी) [sdmedwwo@gmail.com](mailto:sdmedwwo@gmail.com) [mahilakalyan242@gmail.com](mailto:mahilakalyan242@gmail.com) एवं इस कार्यालय की ई - मेल आई(डी) [dhedegreevikas@gmail.com](mailto:dhedegreevikas@gmail.com) पर सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें जबकि दूसरे निर्धारित प्रारूप - 2 की सूचना प्रत्येक माह के पहले सोमवार को इस कार्यालय की ई - मेल आई(डी) [dhedegreevikas@gmail.com](mailto:dhedegreevikas@gmail.com) पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को ससमय सूचना से अवगत कराया जा सके, प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत समयबद्धता एवं व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।  
संलग्नक - यथोक्त।


भवदीय  
  
 डॉ० (अपर्णा मिश्रा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),  
 कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),  
 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ०सं० - डिग्री विकास/ 1315-17 /उसी तिथि को।  
 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. तकनीकी सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश को वेबसाइट में प्रदर्शित किये जाने हेतु।

Ⓣ

भवदीय  
  
 डॉ० (अपर्णा मिश्रा)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),  
 कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),  
 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Ⓣ